

प्रेस नोट दिनांक 03.06.2025

थाना इलिया जनपद चन्दौली

❖ थाना इलिया पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व नामेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया अरुण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया मय हमराह द्वारा आज दिनांक 03.06.2025 को समय करीब 09.35 बजे माल्दह पुल ब्रह्म बाबा के पास से मु0अ0स0 34/2025 व 39/2025 धारा 305 /303(2) /331(4)/317(2)/317(4)/317(5) BNS में वांछित अभियुक्त राजू उर्फ सतीश सेठ पुत्र श्रीराम सेठ नि0 ग्राम बहुआर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी टूटा हुआ पाँच मुर्ति का मुकुट सफेद धातु व दो मुखौटा सफेद धातु बरामद किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू उर्फ सतीश सेठ पुत्र श्रीराम सेठ नि0 ग्राम बहुआर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- मु0अ0स0 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय-

माल्दह पुल ब्रह्म बाबा के पास

दिनांक 03.06.2025 समय 9.35 बजे

बरामदगी विवरण-

1. टूटा हुआ पाँच मुर्ति का मुकुट सफेद धातु का
2. दो मुखौटा सफेद धातु का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 3.उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 4.हे0का0 कल्लन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 5.हे0का0 राजेश यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 6.का0 आलोक सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली ।
- 7 का0 रामसूरत चौहान थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 8.का0 शुभम शर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली।